

सं. डीजीईटी-टी 110 121 /2008 डब्ल्यू टी(पीटी-III)

भारत सरकार

डीजीई एवं टी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2010

सेवार्थ

प्रधानाचार्य

एनवीटीआई/समस्त आर वीटी आई'ज

डीएटीआई कानपुर

वषय: एनवीटीआई/आरवीटी ई'ज में वद्यमान गहन एवं पीओटी पाठ्यक्रमों की पद्धति के स्थान पर शल्प अनुदेशक प्र शक्षण की मॉड्यूलर पद्धति का प्रारंभन—संशोधित प्रारूप पाठ्यचर्या का अंगीकरण।

महोदय,

उपरोक्त वषय पर अनुदेशों के सल सले में मुझे , अंतिम अनुमोदन तक , संबंधित शल्प समितियों द्वारा संस्तुत कए गए अनुसार सीआईटी के अधीन प्रारूप पाठ्यचर्या जैसा क डीजीई एवं टी साइट में अपलोड कया गया है (मॉड्यूलर पद्धति) का, वर्तमान सत्र से प्रभावी , अंगीकरण हेतु, सचव, एनसीवीटी के रूप में डीटी का अनुमोदन प्रेषित करने हेतु निदेशित कया गया है।

प्रारूप पाठ्यचर्या एनसीवीटी के अनुमोदनार्थ जांच के अधीन है। आप (संस्थान जहां टीसी आयोजित कया गया था) से वचार-वमर्शरूपपटीकरणों तथा सुधारों हेतु अपना संबंधित व्यक्ति समादिष्ट करने हेतु अनुरोध कया जाता है (संसद सत्र के पश्चात् अतिशीघ्र)।

नई योजना के अंतर्गत पी ओ टी प्र शक्षण हेतु, वद्यमान 3 माह की पीओटी पाठ्यचर्या (डीजीईटी साइट में पहले से उपलब्ध ) का अंगीकरण कया जा सकता है। सुगम (सॉफ्ट) कौशल हेतु पाठ्य ववरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा सीडी अनुभाग द्वारा अतिशीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

भवदीय

(महीप संदल)

सहायक निदेशक, प्र शक्षण (डब्ल्यूटी)

प्रति ल प:-

1. सीडी/टीटी प्रकोष्ठ सूचनार्थ
2. एनआईसी यह पत्र तथा प्रारूप पाठ्यचर्या (सूची के अनुसार ) डीजीई एवं टी साइट में शल्प पाठ्यचर्या और डीजीईटी योजनाएं के अधीन उपरोक्त वषय पर शीर्षक देते हुए अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

[पाठ्यक्रम](#)